जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 22.07.2024 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

पत्रांक– 1591 / M-08 / 81 दिनांक 26/7/24

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.07.2024 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नवत् है:–

1. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद। (उपाध्यक्ष)
2. जिला विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद। (सदस्य)
3. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फर्रूखाबाद। (सदस्य)
4. जिला पंचायतराज अधिकारी, फर्रूखाबाद। (सदस्य)
5. उपजिलाधिकारी अमृतपुर। (आमंत्रित सदस्य)
6. उपजिलाधिकारी कायमगंज। (आमंत्रित सदस्य)
7. उपजिलाधिकारी सदर। (आमंत्रित सदस्य)
8. श्री विनोद वर्मा, साइट इंजीनियर मै0 बी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्र0लि0। (टी0पी0आई0)
9. श्री रवि कुमार, जी0आई0एस0 मै0 मेंधज टेक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0। (डी0पी0एम0यू0)
10. श्री अशोक शर्मा, पी0एम0, मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0 लि0, हैदराबाद। (निर्माण एजेन्सी)
11. श्री शिव त्रिपाठी, पी0एम0, मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0 लि0, नोएडा। (निर्माण एजेन्सी)
12. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), फर्रूखाबाद। (सदस्य सचिव)

सर्व प्रथम विगत बैठक दिनांक 07.06.2024 को आहूत बैठक में दिये निर्देशों के अनुपालन की गई समीक्षा की अनुपालन आख्या में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) फर्रूखाबाद द्वारा अपने पत्रांक 1532/कार्य–7/71 दिनांक 20.07.2024 के माध्यम से समिति को अवगत कराया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुपालन आख्या का अवलोकन करने के उपरान्त बिन्दुवार समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये:–

1– कार्यदायी एजेन्सी के प्रतिनिधि से पूछा गया कि क्या सभी योजनान्तर्गत तोड़ी गई सड़को का रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा सूची उपलब्ध करा दी गई है अथवा नही, इस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि एजेन्सी द्वारा पत्रांक GVPR/Farrukhabad/2024-25/174 दिनांक 02.07.2024 एवं VTL-Gaja(JV)/PH/FB/260 दिनांक 17.07.2024 को रेस्टोरेशन पूर्ण कराये गये ग्रामों की तथा जहाँ पेयजल आपूर्ति की जा रही है, उन ग्रामों की सूची उपलब्ध कराई गई जिसको पत्र के माध्यम से जिला पंचायतराज अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा मै0 जी0वी0पी0आर0 के प्रतिनिधि श्री अशोक शर्मा एवं मै0 वी0टी0एल0 गजा के प्रतिनिधि श्री शिव त्रिपाठी को निर्देश दिये गये कि सड़कों के पुनः निर्माण उत्तम गुणवत्ता/मानकानुसार अतिशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें तथा एजेन्सी द्वारा विलम्ब से सूची उपलब्ध कराने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया कि पूर्ण कराये गये रेस्टोरेशन के ग्रामों की सूची एवं नियमित पेयजल आपूर्ति ग्रामों की सूची उपजिलाधिकारी के माध्यम से विकास खण्ड/तहसील स्तर से सत्यापन कराया जाये।

2– जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुये कार्यदायी एजेन्सी को निर्देशित किया कि कराये जा रहे निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण टी0पी0आई0 के साथ–साथ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर के माध्यम से कराया जाए तथा एजेन्सी द्वारा निर्माण कार्यो में प्रयुक्त ईंट/निर्माण सामग्री का गुणवत्ता प्रमाण पत्र टी0पी0आई0 के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया तथा कराये जा रहे निर्माण कार्यो की गुणता किसी भी दशा में प्रभावित न होने दी जाये।

3– अधिशासी अभियन्ता से कुम्हरौर व हमीरपुर सोमवंशी योजनाओं से पेयजल आपूर्ति न होने के कारण पूँछा गया। इस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि कुम्हरौर पेयजल योजनान्तर्गत रिबोर कराया जाना प्रस्तावित है। अतः रिबोर कार्य पूर्ण करने के उपरान्त पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी तथा हमीरपुर सोमवंशी का पेयजल योजनान्तर्गत ट्रान्सफार्मर खराब बताया गया तथा अवगत कराया कि विद्युत विभाग को ठीक कराने हेतु पत्र लिख दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दूरभाष के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग को ट्रान्सफार्मर ठीक करने हेतु निर्देशित किया।

4– ढिलावल तथा सिरोली पेयजल योजनाओं का पुर्नगठन के कार्यो को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त दोनो योजनाओं से सुचारू रूप से जलापूर्ति 02 माह में कराने का आश्वासन दिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

5– पूर्व समीक्षा बैठक में निर्माण कार्य एजेन्सी को जल जीवन मिशन के द्वारा निर्धारित सीमान्तर्गत कार्य पूर्ण करने हेतु बार–चार्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था तथा बार–चार्ट के अनुसार आवश्यक श्रम शक्ति बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके अनुपालन में एजेन्सी द्वारा विलम्ब से निर्धारित समय सीमा से अधिक समय में कार्य पूर्ण कराने हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराई गई। जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा रोष प्रकट करते हुये कहा गया कि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों एजेन्सियों मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0 हैदराबाद एवं मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0लि0 नोएडा द्वारा मिशन कार्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने की मंशा नही है अथवा एजेन्सी अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से कार्यो को समीक्षा कराने के इच्छुक नही है। इस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा पुनः मिशन कार्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमान्तर्गत निर्माण कार्यो को पूर्ण करने हेतु पूर्व में प्रेषित प्रारूप पर बार–चार्ट उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा साथ ही यह भी निर्देशित किया कि एजेन्सी आवश्यकतानुसार श्रम शक्ति बढ़ाकर वांछित प्रगति प्राप्त कर कार्य पूर्ण करे, अन्यथा की स्थिति में कठोरतम कार्यवाही हेतु शासन को पत्र लिख दिया जायेगा तथा निर्माणकारी एजेन्सी मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजी0लि0 नोएडा एवं मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0 हैदराबाद को निर्धारित प्रारूप पर समसय बार चार्ट उपलब्ध न कराने एवं निर्माण कार्यो में वांछित प्रगति प्राप्त न होने के कारण अधिशासी अभियन्ता अपने स्तर से एजेन्सियों को नोटिस निर्गत करना सुनिश्चित करे।

6– विवादित/अप्राप्त भूमि पर उपजिलाधिकारी कायमगंज/सदर को एक सप्ताह के अन्दर अधिशासी अभियन्ता से समन्वय स्थापित कर निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया।

7– कार्यदायी एजेन्सी को निर्देशित किया कि सभी ग्रामवासियों को गृह जल संयोजन घर के अन्दर मानकानुसार ग्रांउट/क्लेम्प करते हुए किये जाए तथा कोई ग्रामवासी गृह जल संयोजन नही करवाना चाहता है या घर के अन्दर नही लेना चाहता है तो ऐसे आशय का प्रमाण–पत्र ग्रामवासियों/प्रधान द्वारा ले लिया जाए।

8– निर्देशित किया कि गृह जल संयोजनों में जल जीवन मिशन द्वारा निर्धारित मानकानुसार टोटी लगाई जाये तथा लगाई गई टोटी की गुणवत्ता का सत्यापन टी0पी0आई0 के माध्यम से कराये। किसी भी दशा में अधोमानक टोटी नही लगाई जाए जिससे की जल्दी टूटने/खराब होने के कारण पानी की बर्बादी से बचा जा सके।

अतः सभी संबंधित अधिकारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार</u>

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. अपर मुख्य सचिव, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक "राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, किसान बाजार विभूती खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
4. मुख्य विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
5. जिला विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फर्रुखाबाद।
7. जिला पंचायतराज अधिकारी, फर्रुखाबाद।
8. उपजिलाधिकारी सदर/कायमगंज, फर्रुखाबाद।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, फर्रुखाबाद।
10. मै0 बी0एल0जी0, कस्ट्रक्शन सर्विसेज प्र0लि0 टी0पी0आई0, फर्रुखाबाद।
11. मै0 मेंधज टेक्नों कान्सेप्ट प्रा0लि0 डी0पी0एम0यू0, फर्रुखाबाद।
12. मै0 जी0वी0पी0आर0 इंजी0लि0, हैदराबाद।
13. मै0 वी0टी0एल0 गजा इंजीनियर्स प्रा0लि0 जे0वी0, नोएडा।

26/07/2024

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
फर्रुखाबाद

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner